रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072022-237042
CG-DL-E-04072022-237042

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2883] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 4, 2022/आषाढ़ 13, 1944
No. 2883] NEW DELHI, MONDAY, JULY 4, 2022/ASHADHA 13, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2022

का. आ. 3031(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, उनमें पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और फायदाग्राहियों को प्रत्यक्ष रूप से सुविधाजनक और निर्बाध रीति से अपनी हकदारियां प्राप्त करने में मदद करता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए अनेक प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी), भारत सरकार जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित 'हाथी परियोजना' (जिसे इसमें इसके पश्चात् योजना कहा गया है) नामक केंद-प्रायोजित योजना को प्रशासित कर रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य हाथियों, उनके पर्यावासों और गलियारों के संरक्षण के लिए, मानव-पशु संघर्ष के मुद्दे के समाधान और बंदी हाथियों के कल्याण के लिए भारत के हाथी रेंज राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहयोग प्रदान करना है;

और, यह योजना, अन्य बातों के साथ-साथ, (क) मौत होने या घायल होने, संपत्ति या फसल को नुकसान पहुंचाने आदि के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान करने (ख) विद्यमान योजना मार्ग-निर्देशों के अनुसार खुफिया जानकारी देने वालों को पारितोषिक प्रदान करने और ग्रामवासियों, किसानों तथा अन्य व्यक्तियों (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्रहियों कहा गया है) को आसूचना एकत्र करने पर होने वाले व्यय के भुगतान (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) करने का प्रावधान करती है;

और, उपर्युक्त योजना में भारत की संचित निधि से हुए आवर्ती व्यय सम्मिलित हैं;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(1) योजना के अधीन प्रसुविधा लेने के इच्छुक प्रत्येक पात्र व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह आधार संख्या रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन कराए।

(2) इस योजना के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने आधार संख्या प्राप्त करने के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया है, को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्री कराने से पूर्व आधार संख्या नामांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा परंतु यह कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार आधार संख्या प्राप्त करने का हकदार है, और ऐसा व्यक्ति किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), वेबसाईट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध) को आधार नामांकन हेतु संपर्क कर सकता है।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकारों के संबद्ध विभाग को उन फायदाग्राहियों, जिन्होंने आधार हेतु अभी तक नामांकन नहीं किया है, के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है और यदि किसी मामले में संबद्ध प्रखंड या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तब राज्य सरकारों के संबद्ध विभाग को भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के वर्तमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वयं ही भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करनी है।

परंतु व्यक्तियों को आधार समनुदेशित किए जाने के समय तक योजना के अधीन प्रसुविधा निम्नलिखित दस्तावेज को प्रस्तुत करने की शर्त पर ऐसे व्यक्तियों को दिए जाएंगे अर्थात्:-

(क) यदि उसने नामांकन किया है, उसका आधार नामांकन पहचान की पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित में कोई एक दस्तावेज, अर्थात्:-

i. फोटो सहित बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या

ii. स्थायी लेखा संख्या (पैन) कार्ड; या

iii. पासपोर्ट; या

iv. राशन कार्ड; या

v. मतदाता पहचान पत्र; या

vi. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (2005) कार्ड; या

vii. फोटो युक्त किसान पासबुक; या

viii. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

ix. किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा कार्यालय के शीर्षनामे पर जारी पहचान प्रमाण-पत्र जिस पर ऐसे व्यक्ति का फोटो लगा हो; या

x. मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच - मंत्रालय द्वारा विशेष रुप से उस प्रयोजन से पदाभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाए।

2. योजना के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक तरीके से प्रसुविधा प्रदान करने हेतु, राज्य सरकारों के संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेंगे कि योजना के अधीन फायदाग्राहियों को आधार की आवश्यकता के विषय में अवगत कराने हेतु मीडिया के माध्यम से विस्तृत प्रचार-प्रसार किया जाए।

3. उन सभी मामलों में, जहां फायदाग्राहियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन नहीं हो पाता है, निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाया जाएगा, अर्थात् :-

(क) खराब अंगुलीछाप गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आइरिस स्कैन या चेहरे के अधिप्रमाणन की सुविधा अपनाई जाएगी, ऐसा करने हेतु राज्य सरकारों का संबद्ध विभाग, निर्बाध रीति से प्रसुविधाओं के परिदान के लिए अंगुलीछाप अधिप्रमाणन के साथ-साथ आइरिस स्कैनर्स और चेहरे के अधिप्रमाणन का प्रावधान करेगा;

(ख) अंगुलीछाप के माध्यम से बायोमैट्रिक्स अधिप्रमाणन या आइरिस स्कैनर्स या चेहरा अधिप्रमाणन के सफल न होने के दशा में, जहां कहीं साध्य और ग्राह्य हो, वहां यथास्थिति, सीमित समय वैद्यता वाले आधार वन टाइम पासवर्ड या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन प्रदान किया जाएगा।

(ग) अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं होता है, योजना के अधीन भौतिक आधार कार्ड के आधार पर प्रसुविधा प्रदान की जाएं, जिसकी अधिप्रामाणिकता का सत्यापन आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया कोड के माध्यम से किया जा सकता है और राज्य सरकारों के संबद्ध विभाग द्वारा सुविधाजनक स्थानों पर त्वरित प्रतिक्रिया कोड पाठक की आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

4. उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने हेतु कि कोई भी असली फायदाग्राही योजना के अधीन अपनी उचित प्रसुविधा से वंचित न रह जाए, राज्य सरकारों का संबद्ध विभाग सीधा लाभ अंतरण मिशन, मंत्रिमण्डल सचिवालय, भारत सरकार के तारीख 19 दिसंबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन में यथोल्लिखित अपवाद (एक्सेप्शन) प्रबंधन तंत्र का अनुसरण करेगा।

5. यह अधिसूचना, असम और मेघालय के सिवाय, भारत के सभी हाथी रेंज राज्यों में राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 4-1/2019-पीई]

रमेश कुमार पाण्डेय, वन महानिरीक्षक

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2022

S. O. 3031(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), Government of India (*hereinafter referred to as the Ministry*) is administering the Centrally Sponsored Scheme of **"Project Elephant"** (*hereinafter referred to as the Scheme*). Implemented by the State Governments, the main objective of the scheme is to provide financial and technical support to the Elephant Range States of India for the protection of elephants, their habitats and corridor, to combat the issue of human-animal conflict and welfare of the captive elephants. The Scheme is implemented by the State Governments;

And whereas, the Scheme *inter-alia* provides for (a) ex–gratia payment for loss of life or injury, damage to property or crop, etc. and (2) reward to informers and payment of expenses on intelligence gathering (*here after together referred to as the benefits*) respectively to the villagers, farmers and other individuals (*hereafter together referred to as the beneficiaries*), as per the extant Scheme guidelines; And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: -

1. (1) Any Individuals eligible for receiving benefits under the Scheme shall herby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any, Individuals desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the training programme provided that he is entitled to obtain Aadhaar, as per the provisions of section 3 of the said Act and such Individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department of the State Governments is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries

who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or taluka or tehsil, the concerned Department of the State Governments shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Unique Identification Authority of India Registrars themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individuals, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to production of the following documents, namely: -

(a) if he has enrolled, his Aadhaar enrolment identification slip; and

(b) any one the following documents, namely; -

(i) Bank or Post Office Passbook with Photograph

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card

(iii) Passport

(iv) Ration card

(v) Voter Identity card

(vi) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (2005) Card

(vii) Kisan Photo Passbook

(viii) Driving Licence issued by the Licensing Authority under the Moto Vehicle Act, 1988 (59 of 1988)

(ix) Certificate of identity having photograph of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehisildar on an official letter head

(x) any other document as specified by the Ministry:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the State Government through implementing agency for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the concerned Department of the State Governments shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanism shall be adopted, namely: -

(a) in case of poor fingerprint quality, Integrated Risk Information System scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the concerned Department of the State Governments shall make provisions for Integrated Risk Information System scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case of biometric authentication through fingerprints or Integrated Risk Information System scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time password or Time- based One Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered.

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangements of quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the concerned Department of the State Governments.

4. In addition to the above, in order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the concerned department of the State Government Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dates the 19th December 2017.

This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette in all the Elephant Range States of India, except the States of Assam and Meghalaya.

[F. No. 4-1/2019-PE]

RAMESH KUMAR PANDEY, Inspector General of Forests

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.07.04 20:43:37 +05'30'